(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी/वादी	बनाम	विप्रार्थी/प्रतिवादी
हीराराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट, निवासी गोरसियों का तला तहसील व जिला बाड़मेर वगैरा (03)		जीयाराम पुत्र मालाराम जाति जाट, निवासी गोरसियों का तला तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (19)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (212) मुकदमा नम्बर 22/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2022	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एंव विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 1253/497 रकबा 8.4174 हैक्टेयर मौजा गोरसियों का तला व प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 16 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1063/332, 332, 348 रकबा क्रमशः 0.3723, 29.4363, 19.4896 हैक्टेयर मौजा चीबड़ा मगरा, पटवार मण्डल काश्मीर, तहसील शिव में अवस्थित है। उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1253/497 में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1062/332, 332, 348 में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा खातेदारी का है। इसी अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजी में काबिज होकर रहवासी ढाणियां, पशुबाड़े, टांके आदि बनाकर निवास कर रहे है। विवादित आराजी में मौके पर मौखिक बंटवारा किया होने तथा सेढों को लेकर विवाद रहता है। विप्रार्थीगण मौखिक बंटवारे को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दंखलदाजी कर कायम सेढों को तोड़ रहे है तथा साथ ही सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है। जबकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का समान हक व हिस्सा होता है। विप्रार्थीगण कायम सेढों का तोडकर मौके की स्थिति में फेरबदल करना चाह रहे है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की मेहनत से उपजाउ बनाई गई भूमि पर जबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकेगी। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का बैचान, हस्तांतरण आदि नहीं करने तथा मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध फरमाई जावें। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या (ख) उक्त वाद या कार्यवाही के स[illegible] पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस सम्पत्ति [illegible] उसका व्ययन (Disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है :– तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकत[illegible] .... हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी	

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म 28/12/22

पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है तथा यदि उन्हे अपने कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होना संभावित है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा गोरसियों का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1253/497 रकबा 8.4174 हैक्टेयर व मौजा चीबड़ा मगरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1063/332, 332, 348 रकबा क्रमशः 0.3723, 29.4363, 19.4896 हैक्टेयर भूमि का बैचान, रहन, हस्तांतरण आदि नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आश्य का अस्थाई स्थगन आदेश विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण की नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 04.04.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)
सहायक कलेक्टर (SDO) शिव

4.4.22 पत्रावली पेश हुई
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित
पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के नोटिसो का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 09/5/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

09.5.22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 24.6.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

24.6.22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 3.8.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

3.8.22 पत्रावली पेश हुई
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण [illegible] नोटिस व डिलीवरी रिपोर्ट पेश की। जिसे [illegible] पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 12.10.22 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.08.04 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

12/10/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28/12/22 [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9.4.25	पत्रावली [illegible] पीठासीन अधिकारी के दीगर [illegible] के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 15.5.25 को पेश हो।
15.05.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 26.05.25 को पेश हो।
26.5.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को पृथक पृथक तीन बार आवाज दिलाई गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली कैसल सुमार होकर एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner